

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रानीवाडा, जिला - जालोर

| अपीलाण्ट | बनाम | रेस्पोंडेण्टस |
|--|------|---|
| गवरी पुत्र मलाजी पत्नि केराजी जाति पुरोहित निवासी जाखडी हाल रानीवाडा खूर्द तहसील रानीवाडा जिला जालोर | | बगदा पुत्र मलाजी वगैरा जाति पुरोहित निवासी जाखडी तहसील रानीवाडा |

किरम मुकदमात :- धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम

प्रार्थना पत्र संख्या :- 18/2020

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए। |
|------------|---|---|
| 10.11.2020 | अपीलाण्टरा ने रेस्पोंडेण्टस के विरुद्ध अंतर्गत धारा 5 भारतीय म्याद अधिनियम के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। कार्यालय टिप्पणी का अवलोकन किया। अतः उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कि जाकर रेस्पोंडेण्टस (अप्रार्थीगण) को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली आयन्दा दिनांक 30/12/2020 को पेश हो। | |
| 30.12.2020 | पत्रावली आज पेश हुई। आज श्रीमान् पीलासन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 27.1.2021 को पेश होगी। | |
| 27.1.2021 | पत्रावली आज पेश। अपीलाण्टस वकील उपस्थित। रेस्पोंडेण्टस संख्या 2 व 3 के नोटिस बाद शामिल हुए व रेस्पोंडेण्टस से ① का नोटिस अदम्य शामिल प्राप्त। अपीलाण्टस वकील रेस्पोंडेण्टस ① का नोटिस राजीस्व डक से सभी पत्रे अनुसार पेश कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 22-02-2021 को पेश हो। | |
| 22/02/2021 | पत्रावली आज पेश हुई। वकालत फीचर उपस्थित। रेस्पोंडेण्टस की ओर से वकील श्री ओपालसिंह राठौड़ द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश किया। जिसकी कोपी अपीलाण्ट | |

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा


वकील को ही गरी। अपीलार्ड व रेस्पॉन्डेंट्स
वकील की वदत सूनी गरी। अपीलार्ड
वकील द्वारा वदत व खर्चना पत्र में भवत
किपा डि अपीलार्ड के पिता मला वल्द ईराजी
के फौत होने पर स्वीकृत म्पुदेशान 824 की
जानकारी अपीलार्ड को राजस्य रेकर्ड की वकत
दिनांक 21.9.2020 को लेने पर डुरि डि उम्ह
म्पुदेशान में अपीलार्ड का नाम गवरी की खजाप
राधा गलत दर्ज किपा हैं। एताम पंचापत जाबड़ी
द्वारा अपीलार्ड के पिता मला वल्द ईराजी के फौते
होने पर म्पुदेशान सेख्या 824 स्वीकृत करने ले पूर्व
एताम वारीतान को सुनवाई का अवसर नहीं दिया।
व अपीलार्ड ग्रामीण परिवेश में रहने वाली
अनपढ़ महिला हैं। इसलिसे उम्ह म्पुदेशान अपील
पेशा करने में डुरे डिने को कंडीन किपा जाना
ज्याप हित में आवरुपक हैं।

जिस पर रेस्पॉन्डेंट्स की ओर से आखिबन्हा
द्वारा जवाब व वदत में खजाप कि मला वल्द
ईराजी के फौत होने पर स्वीकृत म्पुदेशान सेख्या
824 को स्वीकृत करने से पूर्व हम जवाब देखा
को कोरे भी सुनवाई का अवसर नहीं किपा अपा
उम्ह म्पुदेशान की जानकारी प्रकरण हाजा के
बोसिस धारण होने पर डुरि डि उम्ह म्पुदेशान
सेख्या 824 में गवरी की खजाप राधा गलत
दर्ज किपा हैं, जिस सही किपा जाना उचित है व
रेस्पॉन्डेंट्स से उ की ओर से पेशा जवाब में भी
खजापा है डि आधीपा के पिता की मृत्यु पर स्वीकृत
म्पुदेशान में दर्ज राधा की खजाप आधीपा का
नाम गवरी किपा जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किपा। आधीपा
पत्र में जवाब व वदत के रूपों पर मनन किपा।
हस्तगत प्रकरण में अपीलार्ड ग्रामीण परिवेश
की अनपढ़ महिला होना खजापा जिस पर रेस्पॉन्डेंट्स
वकील द्वारा भी बोरी आपत्ती नहीं की गरी। अतः
अपीलार्ड का खर्चना पत्र अस्वीकृत धारा 5

अखण्ड अधिकारी
रानीवास

मुकदमा नं.

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|----------------|---|---|
| | <p>म्पाद आर्द्धनियम का उर्पना पर आपाटि में स्वीकार भोग्य होने से स्वीकार किया जाता है व अपीलान्ट की अपील पेश करने में हुए डिले को कंडेम किया जाकर अपील अन्दर म्पाद की जारी है पत्रावली फैसल २२२२२ टोफर नम्बर से कम है पत्रकारानु अपना-अपना र्क्चा वहन करे। निर्णय सबे इजलास सुनाया गया ।</p> <p style="text-align: center;"> अखण्ड अधिकारी रानीवास</p> | |